



समक्ष,

नोटरी पब्लिक, सिमडेगा
शापथ-पत्र




AF 1374/22
2022

No. 1411
02/03/2022

मैं, दाउद खेसस पिता स्व० कारलुस उराँव, उम्र-70 वर्ष, जाति-उराँव, पेशा-खेती बारी, निवास ग्राम-खिजरी सामटोली, थाना-सिमडेगा जिला-सिमडेगा शापथ पूर्वक ध्यान करता हूँ कि :-

- ११ यह कि, मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ ।
- १२ यह कि, मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, मेरी चावली निम्नलिखित है :-



- १३ यह कि, मेरे हिस्से में खंता न०-113 प्लॉट न०- 2385, थाना न०-105, मौजा-खिजरी में 0.7 1/2 एकड़ जमीन मिली है ।
- १४ यह कि, पिता की मृत्यु के पश्चात हमलोगो का खानदानी बंटवारा हो चुका है ।
- १५ यह कि, मालगुजारी रसीद पौलुस उराँव के नाम से कटता है ।
- १६ यह कि, उक्त भूमि पर होल्डिंग टैक्स का भुगतान मेरे द्वारा किया जाता है एवं रसीद मेरे नाम से कटता है जिसका होल्डिंग संख्या-0060000490000 एम.ओ.
- १७ यह कि, उक्त भूमि पर मैं मकान निर्माण कराना चाहता हूँ जिस पर किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है ।
- १८ यह कि, उक्त सभी जानकारी सही है, यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं दोषी रहूँगा ।


सही/- David Xess

हलफनामा :-

मैं, दाउद खेसस यह हलफनामा तसदीक करता हूँ कि इस शापथ-पत्र में लिखी गई सारी बातें सही एवं सत्य है ।

सही/- David Xess

प्राची, जो श्री पंकज कुमार महतो अधिवक्ता, सिमडेगा के द्वारा पहचान किये गये है, ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर इस शापथ-पत्र की सत्यता की पुष्टि की है



महयान किये,
Suresh Prasad No. AF 31478 (B)
2021-(25001-35000)
02/03/2022
अधिवक्ता, सिमडेगा

टंकन प्रमजीत महतो